राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./3612/2005/जोधपुर

गोपाल राम पुत्र खीयाराम, जाति जाट, निवासी मण्डियाई कलॉ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

.............अपीलार्थी

बनाम

1– कहरा राम पुत्र नौलाराम, जाति जाट, निवासी तिवरी, तहसील ओसिंया, जिला जोधपुर।

2– राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, ओसिंया, जिला जोधपुर।

......रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित–
श्री सी0पी0 शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अभिषेक कौशिक, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 17–3–2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 120/2004 शीर्षक 'गोपाल राम बनाम केहराराम' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या–1 ने एक राजस्व वाद अधिनियम, 1955 की धारा 53, एवं 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ओसिंया, जिला जोधपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम तिंवरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 379/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज है और मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य आपसी सहमति से बॅटवारा किया हुआ है जिसमें पूर्वी आधा हिस्सा वादी के पास एवं पश्चिमी आधा हिस्सा प्रतिवादी के पास है। वादी द्वारा वादपत्र में अनुतोष चाहा कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 379/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में पूर्वी आधा हिस्सा वादी के एवं पश्चिमी आधा हिस्सा प्रतिवादी के खातेदारी में घोषित किया जा कर बॅटवारे की डिक्री पारित की जाये और प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाये। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां ने निर्णय दिनांक 20–10–2003 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया और अंतिम डिक्री दिनांक 28–10–2003 को पारित की गई। प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों प्राथमिक डिक्री दिनांक 20–10–2003 और अंतिम डिक्री दिनांक 28–10–2003 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील

संख्या 126/2004 प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28-05-2005 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनियम, 1955 की धारा 53, एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए वादपत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसिंया, जिला जोधपुर ने निर्णय दिनांक 20-10-2003 से दावा वादी एक्स पार्टी में प्राथमिक डिक्री किया और अंतिम डिक्री दिनांक 28-10-2003 को पारित की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में मियाद के बिन्दु को क्षमा करने हेतु दफा 5, भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णित नहीं किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि दावे में जो एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी उसमें दावे के बीच में डी0डी0 किया गया था और उसे पुनः रैस्टोर करने के समय हमें नोटिस नहीं दिये गये। बिना कुरेजात कायम किए, विभाजन करते हुये अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जब कि अंतिम रुप से पक्षकारान के सहमत होने पर ही अंतिम डिक्री जारी की जा सकती थी। भूमिधारी से किसी प्रकार के प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुये और राजस्थान अभिधृति(राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 की पालना ही नहीं की गई है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यू0 2005 वाल्यूम-1 पेज 41 तथा पेज 253 प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाये।

5- रैस्पो0/वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कानूनी बिन्दु उठाते हुये निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 20-10-2003 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया और दिनांक 28-10-2003 को अंतिम डिक्री पारित की गई। दोनों डिक्रीयों के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जब कि पृथक-पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थीं। न्याय दृष्टान्त आर0.बी0जे0 2014 पेज 42 का उल्लेख किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी पर उचित रुप से तामील हुई है और उसके पश्चात् ही इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है। जब एक बार इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो गया था तो इसके विरुद्ध इनके द्वारा एक्स पार्टी को निरस्त कराने हेतु कोई निगरानी या आदेश 9 नियम 13, सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद के क्रम में अनुपस्थित होने से वाद को डी0डी0 किया गया, जिसकी प्रार्थना करने पर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया। इस स्थिति में प्रतिवादी को पुनः नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। जहॉ तक राजस्थान अभिधृति(राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 की पालना का सम्बन्ध है तो जब इनके विरुद्ध एक्स पार्टी हो गई थी तो इन्हें कुरेजात के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी/रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, ओसिंया, जिला जोधपुर के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें निर्णय दिनांक 20–10–2003 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया और अंतिम डिक्री दिनांक 28–10–2003 को पारित की गई। प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों प्राथमिक डिक्री दिनांक 20–10–2003 और अंतिम डिक्री दिनांक 28–10–2003 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 126/2004 प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2005 से खारिज किया है। दौराने बहस रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रुप से ये कानूनी बिन्दु उठाया है कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 20–10–2003 और अंतिम डिक्री दिनांक 28–10–2003 के विरुद्ध पृथक पृथक दो अपीलें पेश करनी चाहिए थीं और इनके विरुद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील संधारण योग्य नहीं रहती है। इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता ने जो न्याय दृष्टान्त आर0.बी0जे0 2014 पेज 42 उद्धरित किया है, उसमें माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने स्पष्ट रुप से निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया हैः–

> RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 - Section 224- When one appeal is filed against preliminary and final decree, appeal is not maintainable. Appellant is required to file separate appeal against preliminary and final decree.

स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपीलार्थी को पृथक–पृथक रुप से दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं, जब कि उनके द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, अतः योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा उद्धरित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में, योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 की आपत्ति उचित प्रतीत होती है और हमारे मतानुसार प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील संधारण योग्य नहीं रहती है।

8– प्रकरण में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2056–59 के अनुसार स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 379/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर केहराराम पुत्र नवलाराम व गोपालाराम पुत्र खीयाराम खातेदार अंकित हैं और दोनों को ही आधे आधे हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करने बाबत् प्राथमिक डिक्री दिनांक 20–10–2003 को जारी की है। जब प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 25–6–2003 को एक्स पार्टी आदेश हो गया था तो इसके विरुद्ध इनके द्वारा एक्स पार्टी को निरस्त कराने हेतु ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13, सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही इस आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई निगरानी आदि ही प्रस्तुत की गई है। दिनांक 9–9–2003 को दावा वादी अदम हाजिरी में खारिज होने के उपरान्त दिनांक 23–9–2003 को वाद को पुनः रैस्टोर किया गया। स्पष्ट है कि जब एक बार प्रतिवादी के विरुद्ध एक्स पार्टी हो गई थी तो दावे के रैस्टोर होने पर उन्हें नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था, अतः इस सम्बन्ध में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जो आक्षेप लिया गया है वह संधारण योग्य नहीं रहता है। अधीनस्थ दोनों

न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है और समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है जैसा कि 2002 आर.आर.डी पेज 52 उच्च न्यायालय, 2007 आर.आर.डी पेज 587 उच्च न्यायालय, 1980 आर.आर.डी. पेज 750 तथा 2001 एआईआर एससी पेज 2282 में अभिनिर्धारित किया गया है। फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य